न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुनीला डागा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 67/2017 (अपील)

उनवान

महावीर पुत्र श्री गोपी दास जाति बैरागी निवासी अयाना तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा (रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रमाकान्त लोहिया (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द सिंह चौहान (राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 5 कॉलोनाइजेशन एक्ट
बनाराजगी आदेश दिनांक 17.03.2017 मिसल नम्बर 987/2017
न्यायालय नायब तहसीलदार, पीपल्दा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 03.11..2017

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली के तथ्यों के सर्वथा विपरीत है, जो कि खारिज होने योग्य है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को वाके ग्राम प्रेमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 0.57 हैक्टयर पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर जुर्माना एंव सिविल कारावास से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किऐ एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किऐ बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुऐ बिना ही एंव कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलाण्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिकमण बाबत साक्ष्य नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. . रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिकमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिकमण किया है। जिसके

सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किऐ एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किऐ बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुऐ बिना ही एंव कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलाण्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपथित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम प्रेमपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 0.57 हैक्टयर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिऐ इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलाण्ट अप्रार्थी स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया गया है, एंव भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलाण्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अन्यथा अपीलाण्ट अप्रार्थी को उक्त शर्त के उल्लघंन पर इस निर्णय की दिनांक से दो माह के लिऐ स्थगित की गई सिविल कारावास की सजा का आदेश पुनः प्रभावी होगा। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में आदेशिका लिखते हुऐ विधि के अनुरूप नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लावें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्रीमती सुनीता डागा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा